

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
बॉम्बे मण्डल ऑफिस।

सेवा में

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक-एन0आ0सी0 / 2323-29 / 2011-12 दिनांक- 30/6/2011

विषय:-विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल,बॉम्बे को सी0बी0एस0ई0,बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक-14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के रक्षाम पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त श्री अध्याक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्रावधान किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद बॉम्बे में स्थित संस्था विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल,बॉम्बे के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा जौधोपरान्त विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल,बॉम्बे को सी0बी0एस0ई0, बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल,बॉम्बे, को निम्न लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में समिति को आपत्ति नहीं है-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे, और उनसे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन,नई दिल्ली/कौंसिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पदवी मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राज्याधीन सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुमान्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

(02)

8. विद्यालय का रिकार्ड, निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(ओ०पी०एन० सिंह)

आयुक्त, ।

चित्रकूटधाम मण्डल बाँदा।

तददिनांक-

पृष्ठांकन सं०/एन०ओ०सी०/ 2323-29 /2011-12

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
2. वैयक्तिक सहायक आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल बाँदा।
3. जिलाधिकारी, बाँदा।
4. शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र०, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, बाँदा।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, विद्यावती निगम मेमोरियल पब्लिक स्कूल, बाँदा।

(मन्नेज कुमार द्विवेदी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

झाँसी मण्डल झाँसी।